न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 44/2023
जीसीएमएस नम्बर :: 2023/173

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
श्रीमती पोची पत्नी मेघाराम, जाति देवासी, निवासी ग्राम कूरना, तहसील पाली जिला पाली।		तहसीलदार पाली, तहसील पाली, जिला पाली राजस्थान।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 28.02.2024

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध मौजा ग्राम कूरना, पटवार हल्का कूरना, तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 4038 दिनांक 25.10.2021 तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि मौजा ग्राम कूरना, पटवार हल्का कूरना तहसील पाली में हाल खसरा संख्या 386 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा (2.0558 हैक्टेयर) किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि हंजा देवी धर्मपत्नी मन्नाराम वगैरह की सह–खातेदारी कृषि भूमि आई हुई थी। जिसमें हंजा देवी का 65/254 में 1/3 हिस्सा अर्थात् रकबा 1.083 बीघा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार निहित था। उक्त सम्पूर्ण निहित हक–हिस्से को हंजा देवी ने जरिये पंजीबद्व विक्रय–विलेख दिनांक 13.08.2021 को अपीलाण्ट श्रीमती पोची धर्मपत्नी मेघारामजी को बेचाण कर दी। इस तरह पटवारी हल्का को जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण उक्त पंजीबद्व विक्रय–विलेख के अनुसार सही नाम पता की वलदियत के साथ इन्द्राज करना था परन्तु पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट का नाम श्रीमती पोची धर्मपत्नी मेघाराम की जगह पोनी धर्मपत्नी मेघाराम दर्ज कर दिया है और इसी इन्द्राज को भू–अभिलेख निरीक्षक कूरना ने पंजीबद्व विक्रय–विलेख से अवलोकन नही कर रेकर्ड से मिलान किया, बेचाण दस्तावेज अनुसार इन्द्राज सही पाया कि टिप्पणी करते हुए इतिश्री कर दी जो पूर्ण रूप से लापरवाहीपूर्ण है। इस तरह तहसीलदार महोदय ने पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी के आधार पर बिना कोई दस्तावेज की जांच किये ही जैर नामान्तरकरण को स्वीकृत कर दिया जो नामान्तरकरण पूर्ण रूप से विधि विरूद्व होने से काबिले खारिज है।

जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण नियमानुसार व अपीलाण्ट

को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर ही स्वीकृत किया गया है। अतः अपील–अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह सुस्पष्ट है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 4038 दिनांक 25.10.2021 जो कि पंजीबद्ध विक्रय पत्र 13.08.2021 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। उक्त विक्रय पत्र में खातेदार हंजा देवी द्वारा जैर आराजी का बेचान पोची धर्मपत्नी मेधारामजी के नाम पर किया गया है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विवादित नामान्तरकरण जो दर्ज किया गया है जिसका क्रमांक 4038 है। उक्त नामान्तरकरण में काश्तकार का नाम पोची के स्थान पर पोनी दर्ज कर दिया गया है जो प्रथम–दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण है।

अतएव हम मौजा ग्राम कूरना, पटवार हल्का कूरना, तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 4038 दिनांक 25.10.2021 को निरस्त कर तद्नुसार तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में पुनः हस्ब पंजीकृत विक्रय–पत्र की उचित जांच कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.04.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 28-02-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली